नैक (NAAC) द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

जनसंपर्क विभाग- Ph./Fax: 07152-252651 मो.9960562305 इ-मेल: mgahvpro@gmail.com

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

हिंदी विश्वविद्यालय में प्रो. सुखदेव थोरात का व्याख्यान

सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है संविधान –प्रो. सुखदेव थोरात

वर्धा दि. 15 दिसंबर 2015: भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता इन तीन महत्वपूर्ण तत्वों के अमल से सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है। संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने भारतीय समाज के सुधार की दिशा में संविधान में सामाजिक न्याय के तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। देश के लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संविधान महत्वपूर्ण माध्यम है। उक्त विचार भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री प्रो. सुखदेव थोरात ने व्यक्त किये। वे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भारतरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह के तारतम्य में 'भारतीय संविधान एवं सामाजिक न्याय' विषय पर विशेष व्याख्यान में बोल रहे थे। यह आयोजन सोमवार, 14 दिसंबर को विश्वविद्यालय हबीब तनवीर सभागार में किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने की।

इस अवसर पर प्रो.वी. कुटुंबशास्त्री, प्रतिकुलपति प्रो. चित्तरंजन मिश्र, कुलसचिव डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र मंचासीन थे।

प्रो. थोरात ने भारतीय संविधान में निहित सामाजिक न्याय के तत्व को अधोरेखित करते हुए कहा कि संविधान का मूलाधार ही सामाजिक न्याय है। संविधान की प्रस्ताविका में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन तत्वों से ही सामाजिक न्याय की अवधारणा स्पष्ट होती है। संविधान में विचार दिया है साथही परिवर्तन की भी बात की गयी है। संविधान बनाते समय समाज सुधार राष्ट्र निर्माण का मुद्दा बना हुआ था और इस बात पर गंभीरता से ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि डॉ. आंबेडकर का मानना था कि संविधान के माध्यम से लोगों का कल्याण होगा और समानता बढ़ेगी और इससे लोगों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में सामाजिक न्याय के प्रति हमने काफी फासला तय किया है परंतु अभी भी चुनौतियां काफी हैं। सामाजिक स्वतंत्रता की जरूरतों की चुनौतियां हमारे सामने है और वह संविधान के माध्यम से सुलझायी जा सकती हैं।

प्रो. थोरात ने कहा कि डॉ. आंबेडकर ने संविधान में ऐसे अनेक प्रावधानों को रखा है जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके।

अध्यक्षीय वक्तव्य में कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने कहा कि प्रजातंत्र को जारी रखने की शक्ति संविधान में निहित है। हमारे समाज के सभी सुधारों के उपाय संविधान में दिये गये हैं। उन्होंने प्रो. सुखदेव थोरात के प्रति संविधान पर दिये गये महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए आभार जताते हुए कहा कि वे इस विषय के विभूति है और संविधान के प्रति समाज में चेतना जगाने की दिशा में उनका व्याख्यान शोधार्थी तथा विद्यार्थियों को प्रेरणास्पद रहेगा। कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने घोषणा की कि डॉ. आंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन किया जाएगा और इस पुस्तक में प्रो. थोरात के व्याख्यान को शामिल किया जाएगा।

इस अवसर पर डॉ. एम. एल. कासारे ने अपने प्रास्ताविक भाषण में संविधान में सामाजिक न्याय और डॉ. आंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि भारतीय संविधान एक मौलिक ग्रंथ

है और इसमें सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है। कार्यक्रम का स्वागत वक्तव्य शिक्षा विद्यापीठ के अध्यक्ष प्रो. अरविद कुमार झा ने दिया। संचालन सहायक प्रोफेसर संदीप सपकाले

ने किया तथा आभार कुलसचिव डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने माना। इस अवसर पर वर्धा के गणमान्य नागरिक, शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।